राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 4040

दिनांक. 05.06.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 18 / 16217–18 दिनांक 30.05.18 से पुलिस थाना सुनेल के अभियोग सं0 80 / 18 धारा 399, 402 भादस व 3 / 25, 4 / 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मुकेश पुत्र लीमचंद उर्फ लीमा जाति कंजर उम्र 22 साल निवासी बिरियाखेडी थाना सदर झालावाड जिला झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.05.2018 को श्री लाल सिंह सउनि मय हमराही जाप्ता वास्ते गश्त इलाका व चैकिग बदमाशान रोशनबाडी तिराहे पर पहुंचा कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पाटन रोड पर पेट्रोल पंप से आगे पुलिया की आड मे नीचे कंजर जाति के लोग हथियारो से लैस होकर बडी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे है। मुखबिर की सूचना से हमराही जाप्ते को अवगत कराकर उक्त सांकेतिक स्थान पर 2 टीम मामूर कर उनकी बाते सुनी। बदमाशान को तुरंत राउण्ड अप कर धावा बोल दिया तथा पांच व्यक्तियो को डिटेन किया जाकर नाम पते पूछे तो 1. मुकेश पुत्र लीमचंद उर्फ लीमा जाति कंजर उम्र 22 साल 2 राजू पुत्र बहादुर सिंह जाति कंजर उम्र 20 साल 3 विक्रम पुत्र लख्मा जाति कंजर उम्र 23 साल निवासीगण बिरियाखेडी थाना सदर झालावाड 4 भवानी सिंह पुत्र मोहन जातिकंजर उम्र 25 साल 5 गोविन्द सिंह पुत्र गोन्या जाति कंजर उम्र 22 साल बताया तथा इनके कब्जें से तलवार छुर्रा लकडी मिली तथा मुकेश के कब्जे से एक देशी कटटा मय 2 जिंदा कारतूस मिले। मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाना पर प्रकरण संख्या 80 / 18 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया ।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये । जब्त शुदा अवैध देशी कटटा 315 बोर एंव 2 जिदां कारतूस 315 बोर का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो आर्मोरर ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया कि देशी कटटा .315 बोर लोकल मेटल का बना हुआ है। जिस पर किसी प्रकार के नंबर व मार्का अंकित नही है। मोजूदा समय मे इसके सभी पार्टस सही कार्यरत है। जो फायर आर्म्स की जद मे आता है। दोनों कारतूस .315 बोर के हैं, जो पीतल का बने हुए है। कारतूसो की केप पर केएफ 8 एमएम अंकित है। दोनो कारतूस जिंदा अवस्था मे है, जो एम्युनेशन की परिभाषा मे आता है। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त मुकेश पुत्र नीमचंद उर्फ लीमा जाति कंजर उम्र 22 साल निवासी बिरयाखेडी थाना सदर झालावाड जिला झालावाड के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राधेश्याम एएसआई व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी कटटा व दोनो कारतूस को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त मुकेश पुत्र लीमचंद उर्फ लीमा जाति कंजर उम्र 22 साल निवासी बिरयाखेडी थाना सदर झालावाड जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड